Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 6, December-2022, ISSN 2230-7540

जनजातियों का सामाजिक, शासनात्मक व संवैधानिक परिप्रेक्ष्य: राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में

डॉ अशोक कुमार महला[1]*, डॉ सुलोचना[2]

[1] सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

[2] सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, एस. के. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर

***सार** - भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएँ हैं। यहां अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति एवं जाति के लोग रहते हैं। भारत की सामाजिक रचना को हम जनजातीय आवास, ग्राम और कस्बे व शहर की दृष्टि से देख सकते हैं। जनसंख्या का एक भाग आदिम जाति या जनजातियों का है। आमतौर पर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां सत्यता का प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा है। विशाल भारत में फैली हुई सभी जनजातियों को किसी भी आधार पर एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए भौगोलिक स्थिति, भाषा, प्रजाति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति आदि आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। आमतौर पर जनजातियां आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। जनजातियों के साथ होने वाले अन्याय से उनकी रक्षा करने और उन्हें समाज के अन्य भागों के समकक्ष लाने के लिए संविधान में विशेष रियायतें दी गई हैं। भारत की जनजातियों में एकात्मकता की दृढ़ भावना देखी जा सकती है। विभिन्न मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से जनजातियों को परिभाषित तथा उनका वर्गीकरण किया है। सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार, अंतर-विवाह, एक नाम, सामान्य संस्कृति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, अपना निजी राजनीतिक संगठन तथा सामान्य निषेध आदि जनजातियों के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं।*

***मुख्य शब्द** - जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम समाज, प्रजातीय, भैंस संस्कृति, अन्तर्विवाही समूह, पितृ स्थानक-मातृ स्थानक-नव स्थानक परिवार, सामाजिक संविदा, सह-पलायन प्रथा, गमेती, टोटम, मोसर, झगड़ा रकम, सलुका, पंछा, खपटा, अट्टा-सट्टा, पाती माँगना, कूकड़ी रस्म, गोपना, कोरूआ, टोपा*

----------X----------

प्रस्तावना

जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव सूमह है, जिसकी एक सामान्य भाषा, संस्कृति, राजनीतिक संगठन व व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करता है। इनका संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति है। जनजाति एक ऐसा समूह है जिसका एक विशेष नाम होता है, जिसमें एक समूह के होने की भावना होती है, जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। भारत की जनजातियां अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के संदर्भ में अलग-अलग अवस्थाओं में हैं। कुछ जनजातियाँ संक्रमण अवस्था में हैं, विभिन्न स्थानों पर जनजातियों को प्रलोभन या बहला-फुसलाकर एक साजिश के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करवाया जा रहा है जो भारतीयता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुई है वहीं दूसरी ओर कुछ जनजातियों ने काफी हद तक अपनी परंपरागत जीवन प्रणाली को अपना रखा है।

भारत विविधताओं में एकता वाला राष्ट्र है। विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, प्रजाति, गोत्र, जाति, मत आदि से संबंधित लोग निवास करते हैं। गौत्र का विस्तृत स्वरूप जनजाति के रूप में लिया जाता है। जनजातियों को अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने अलग-अलग नामों से पुकारा है। इन्हें आदिम समाज, वन्य जाति, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति आदि नामों से जाना जाता है। जनजातियां एक सामान्य भू-भाग में निवास करने, एक सामान्य भाषा द्वारा वैचारिक आदान-प्रदान करना, एक विशेष नाम से पहचान, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में आत्मनिर्भरता, कई परिवारों का विस्तृत समूह, सामान्य रीति रिवाज-प्रथा-लोकाचार-धर्म-कला आदि आधारित सामान्य

www.ignited.in

संस्कृति, निजी राजनीतिक संगठन, समान निषेध नियम आदि लक्षणों से युक्त होती है।

डॉ. घुरिये ने जनजातियों के लिए 'पिछड़े हुए हिन्दु' शब्द का प्रयोग किया है।

डॉ. मजूमदार ने जनजातियों को परिवारों के समूह, सामान्य नाम, सामान्य भाषा व निश्चित भू-भाग में निवास करने के आधार पर जाना है।

भारत एक विशाल देश है, जहां जनजातियाँ अलग-अलग भागों में फैली हुई हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भूगोल, प्रजाति, भाषा, संस्कृति, अर्थ आदि के आधार पर वर्गीकृत किया है, जैसे डॉ रिजले, डॉ गुहा व हट्टन ने 'प्रजातीय' आधार पर कहा कि 'नीग्रिटो' भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है जो दक्षिण भारत की कदार, पनियान, असम के अंगामी नागाओं में निवास करने वाली जनजातियां हैं। उत्तरी-पूर्वी भारत में मंगोल प्रजाति की जनजातियां पायी जाती हैं। मध्य भारत में आदि-आग्रेय प्रजाति की जनजातियां पाई जाती हैं।

डॉ. वी. एस. गुहा ने भूगोल के आधार पर बताया कि उत्तर व उत्तरी-पूर्वी भारत में भोटिया, थारू, लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफला, लुशाई आदि जनजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी के टोडा, कोटा, कदार, पनियन, हैदराबाद के चेंचू, अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूहों की जाखा, ओंग, शोपन, निकोबारी आदि जनजातियां पाई जाती हैं। मध्यवर्ती भारत में संथाल, मुंडा, हो, खरिया, उरांव, गोंड, भील, कोली, मीणा, बैगा आदि जनजातियां पाई जाती है। संस्कृति के आधार पर अत्यधिक आदिम सामाजिक जीवन वाली जनजातियां मध्य भारत के बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र की माड़िया, उड़ीसा की गडबा-वोदों जनजातियां प्रमुख हैं।

भाषाई आधार पर द्रविड़ भाषा बोलने वाली टोडा, मलेर, चेंचू, कदार, पोलिया आदि जनजातियां प्रमुख हैं। द्रविड़ मुख्यतः दक्षिण की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। मध्य भारत की गौंड जनजाति भी द्रविड़ बोलती है। मध्य-पूर्वी भारत की जनजातियां कोल, मुण्डा भाषाएं बोलती हैं। संथाली, मुन्डारी, खरिया आदि भाषाएं बिहार, उड़ीसा, बंगाल असल की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। आर्थिक आधार पर नीलगिरी की टोडा जनजाति की संस्कृति 'भैंस संस्कृति' के नाम से जानी जाती है। टोडा जनजाति भैंस पालन करती है।

अध्ययन के उद्देष्य

- जनजातियों के सामाजिक परिवेश का अध्ययन करना।
- जनजातियों के निजी राजनीतिक संगठन का अध्ययन करना।
- जनजातियों में धर्मांतरण की पाई जाने वाली समस्या का अध्ययन करना।
- जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किये गए संवैधानिक प्रावधानों का अवलोकन करना।
- राजस्थान के संदर्भ में जनजातियों के सामाजिक शासनात्मक परिप्रेक्ष्य को समझना।

परिकल्पना

परिकल्पना के रूप में जिन अनुत्तरित प्रष्नों एवं विचारों को व्याख्या प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है, उसकी व्याख्या की जा सकती है।

- जनजातियों में तेजी से होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन आवश्यक है।
- शहरी संस्कृति से अलग जनजातीय संस्कृति एवं उनकी सामाजिक संरचना को समझना आवश्यक है।
- जनजातियों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए गए संवैधानिक एवं शासनात्मक प्रयासों का अध्ययन करना आवश्यक है।
- जनजातियों की देश की अर्थव्यवस्था एवं शासन व्यवस्था में भूमिका का अध्ययन किया जाना।
- राजस्थान के संदर्भ में जनजातियों की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र मूलतः द्वितीयक सूचना स्रोतों पर आधारित है हालांकि प्राथमिक स्रोत भी समाहित किए गए हैं। जब संषोधन स्वतः घटना स्थल पर उपस्थित रहकर अवलोकन, अनुसूची, प्रष्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी और आंकड़ों का संग्रहण करता है तब इस प्रकार वस्तु और व्यक्ति से उपलब्ध हुई तथ्य सामग्री को प्राथमिक तथ्य सामग्री कहते हैं। द्वितीयक तथ्य सामग्री ऐसी सांख्यिकी जानकारी है जिसे संषोधन प्रकाषित या अप्रकाषित दस्तावेजों, पाण्डुलिपियों, जीवनियों, डायरियों और पत्रों आदि के माध्यम से प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राप्त हुई तथ्य सामग्री को भी संषोधन में महत्व प्राप्त है। प्रस्तुत अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए शासकीय और अषासकीय संस्थाओं के द्वारा प्रकाषित/अप्रकाषित दस्तावेज, सांख्यिकी, आदेष, सूचना आदि का उपयोग किया गया है।

www.ignited.in

राजस्थान की प्रमुख जनजातियां एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य

जनजातियों का सामाजिक जीवन निश्चित भू-क्षेत्र, सामान्य नाम-भाषा, अन्तर्विवाही समूह, परिवार आधारभूत सामाजिक नाम-भाषा, अन्तर्विवाही समूह, परिवार आधारभूत सामाजिक इकाई (पितृ स्थानक-मातृ स्थानक-नव स्थानक परिवार), जन्म-विवाह-मृत्यु पर विशेष संस्कार, विवाह एक सामाजिक संविदा, विवाह का अर्थ सन्तति व यौनिक सन्तुष्टि, जिस महिला का सात बार तलाक हो वह सामाजिक-धार्मिक मामलों की 'नेत्री' आदि पहलुओं से संबंधित होता है।

राजस्थान का मुख्यतः दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग जनजाति बहुल क्षेत्र है। राजस्थान में यद्यपि 12 प्रकार की जनजातियाँ हैं, परन्तु भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी आदि मुख्य जनजातियाँ हैं। राजस्थान में उदयपुर सर्वाधिक जनजाति बहुल जिला है, जबकि बीकानेर न्यूनतम जनजाति वाला जिला है।

मीणा जनजाति:- मीणा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इनका गणचिन्ह 'मीन' (मछली) था। ये मुख्यतः जमींदार एवं चैकीदार नामक दो वर्गों में विभक्त हैं। इस जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि-पशुपालन ही रहा है। यह जनजाति शक्ति की उपासक है।

मीणा जनजाति में ग्रामीण क्षेत्र में बाल-विवाह प्रथा प्रचलित है। शरीर पर 'गोदने' का रिवाज है। समाज में 'नाता' प्रथा, मृत्यु के 12 वें दिन मोसर (सामूहिक भोज) का रिवाज, झगड़ा रकम (पूर्व पति को मुआवजे की रकम देना) आदि प्रथाएं प्रचलित हैं। जंगलों में बने घर 'मेवासे', अनाज संग्रह की मिट्टी की कोठियाँ 'ओबरी', गांव का मुखिया 'पटेल' कहलाता है। भोजन में मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, दूध, छाछ, राबड़ी, खिचड़ी, हुक्का पीना आदि का प्रचलन है। पुरूषों में धोती, अंगरखी, पगड़ी, साफा व महिलाओं में घाघरा, काँचली, ओढ़नी, पैरो में कड़े, कमरबंद, गले में खुगांली आदि पहनने का प्रचलन है। भूरिया बाबा (गोतमेश्वर) इनके अराध्य देव हंै, जिनका गोतमेश्वर (सिरोही) में मेला भरता है।

भील जनजाति:- भील जनजाति मीणा जनजाति के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह द्रविड़ भाषा के ,'बील' का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ 'तीर-कमान' होता है। कर्नल जेम्स टाॅड ने इनको 'वनपुत्र कहा है। महाभारत में भीलों को निषाद कहा जाता है। बाँसवाड़ा, डूंगरपूर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में इनका बाहुल्य है।

भीलों में विधवा विवाह, डाम देना (रोगोपचार की विधि), हाथी मना (विवाह पर पुरूषों द्वारा नृत्य करना, घुटने के बल पर बैठकर तलवार घुमाना), हाथी वैन्डो प्रथा (वैवाहिक प्रथा-पीपल, बाँस, सागवान, को साक्षी मानना), सह-पलायन प्रथा (लड़के-लड़की का भागकर 2-3 दिन में वापस आना या अपहरण विवाह), पितृसतात्मक परिवार, कुटुम्ब प्रथा आदि प्रथाएं प्रचलित हैं।

भीलों के गांव का मुखिया 'पालवी' (तदवी) पंचायत का मुखिया 'गमेती', कुल देवता 'टोटम', मोहल्ला 'फला', कई फला का समूह 'पाल' (गांव), पाल का मुखिया 'पालवी', भाषा 'बागड़ी' (भीली), कहलाती है।

भीलों में वालरा कृषि या झूमिंग कृषि प्रचालित है, जो मैदानी भागों को जलाकर की जाती है तथा पहाड़ी ढलानों की झूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है। रणघोष को 'फाइरे-फाइरे', नाम से बोलते हैं। पुरूष फैंटा (साफा), लंगोटी, ठेपाड़ा (तंग धोती), फालू (कमर रखे जाने वाला अंगोछा) तथा स्त्रियां कछावू (घाघरा), सिंदूरी (साड़ी), पिरिया (दुल्हन का लहंगा), परिजनी (पैरों की पीतल की चूड़ियाँ), ओढ़नी आदि वस्त्रों का धारण करती है।

बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बांसवाड़ा का छोरिया अम्बा मेला भीलों का प्रसिद्ध मेला है। कृषि-शिकार मुख्य आजीविका साधन हैं। गैर, ढेंकण, गवरी, नेजा, घूमर आदि प्रसिद्ध नृत्य हैं। महुआ की शराब का सेवन किया जाता है।

सहरिया जनजाति:- सहरिया जनजाति बाराँ जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में मुख्यतः रहती है। सहरिया समाज में पर्दा प्रथा, नाता प्रथा, झगड़ा राशि (नया पति पूर्व पति को प्रदान करता है), विधवा विवाह, मुंडन संस्कार, श्राद्ध प्रथा, धारी संस्कार (मृतक की अस्थियां-राख को तीसरे दिन रात्रि में आंगन में बिछाकर ढकना व प्रातः देखना), बहु-पत्नी प्रथा आदि का प्रचलन है।

इनकी पेड़ों पर मचाननुमा झोपड़ी 'गोपना (कोरूआ/टोपा) कहलाती है। 'कोडिया देवी' इनके परिवार की कुलदेवी होती हैं। 'तेजाजी' लोकदेवता हैं। 'कपिलधारा का मेला' इनका कुंभ कहलाता हैं। पुरूष सलुका (अंगरखी), पंछा (धोती), खपटा (साफा) पहनते हैं तथा स्त्रियां लूगड़ा (साड़ी), सलूका (कब्जा), नाक में लौंग, कानों में झेला, गले में खंुगाली, पांवों मे कड़ा, पांवों की उंगालियों में 'बिछिया' आदि पहनती हैं। विवाह व त्यौहारों पर मीठी लापसी व चूरमा-बाटी का प्रचलन है। सदरिया काली व दुर्गा के भक्त होते हैं।

www.ignited.in

गरसिया जनजाति:- गरासिया राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः उदयपुर की गोगुन्दा व कोटड़ा तहसील, सिरोही की आबूरोड़ व पिंडवाडा तहसील, पाली की बाली में निवास करती है। आबूरोड़ का भाखर क्षेत्र इनका मूल प्रदेश माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी उत्पति 'गवास' शब्द से मानी है। इनमें प्रेम विवाह, मोरबंधिया विवाह (ब्रह्म विवाह के समान), पहरावना विवाह (ब्राह्ममण की अनुपस्थिति में फेरे), ताणना विवाह (वर पक्ष द्वारा समाज पंचों को निर्धारित मूल्य चुकाकर पसंद की कन्या को घर ले जाना), मृत्यु भोज (कोंधिया/मेक), अट्टा-सट्टा (लड़की के बदले लड़की) विवाह, विधवा विवाह (आणा करना या चुनरी ओढ़ाणा), नवजात शिशु की नाल काटना (अनाला भोर भू प्रथा), सेवा विवाह (घर जंवाई बनना), खेवणा या माता विवाह (वैवाहिक स्त्री का प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना), मेलबो विवाह (बचत हेतु वधू को वर के घर छोड़ देना) आदि प्रथाएं प्रचलित हैं। नक्की झील इनका पवित्र स्थान हैं। कोटेश्वर का मेला (अंबाजी के पास), चेतर विचितर मेला (देलवाडा के पास) मुख्य मेले हैं। अलगोजा, नगाडा, बांसुरी मुख्य वाद्य यंत्र हैं। पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा प्रचलन में हैं। गरासियों में गरासिया स्त्री का भील पुरूष से विवाह करने पर परिवार 'गमेती गरासिया' तथा गरासिया पुरूष का भील स्त्री से विवाह करने पर परिवार 'भील गरासिया' कहलाता है। समाज में मृतक की याद में स्मारक (हुरे) बनाया जाता है।

गरासिया पुरूष धोती, कमीज (पुढियो या झूलकी), सिर पर साफा (फेंटा) हाथ में कड़े, गले में हंसली, कानों में मुरकी पहनते हैं तथा स्त्रियाँ ओढ़णी, कांचली, हाथी दाँत की चूडियाँ, कानों में डोरणे, गले में 'बारली', पैरों में 'कुडले' पहनती हैं।

कथौड़ी जनजाति - कथौड़ी जनजाति उदयपुर जिले की सराड़ा, कोटड़ा व झाड़ोल पंचायत समिति में निवास करती है। कथौड़ी जनजाति में विधवा पुनर्विवाह, मृत्युभोज, पुनर्जन्म आस्था, गोदने की प्रथा आदि प्रथाएं प्रचलित हैं। कथौड़ी जनजाति में स्त्रियां व पुरूष दोनों शराब का सेवन करते हैं। इनका जीवन मुख्यतः कृषि, मछली पकड़ना आदि पर गुजर-बसर होता है। इनमें दूध का प्रयोग नहीं होता है। ये मुख्यतः खेर के जंगलों से कत्था तैयार करने का कार्य करती हैं। इनमें मावलिया नृत्य प्रसिद्ध है जो पुरूषों द्वारा ढोलक, बांसली की ताल पर गोल-गोल घूमकर नाचकर किया जाता है। इनकी स्त्रियों का मराठी तरीके से साड़ी पहनना 'फड़का कहलाता है।

सांसी जनजाति:- सांसी जनजाति मुख्यतः भरतपुर में निवास करती है। यह जनजाति सामान्यतः खानाबदोष जीवन-यापन करती है। 'भाखर बावजी' इनके संरक्षण देवता माने जाते हैं। इनमें विवाह के उपरान्त युवती को चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देने की 'कूकड़ी रस्म' प्रचलित है।

कंजर जनजाति:- कंजर जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर, अजमेर आदि जिलों में निवास करती है। यह जनजाति चोरी जैसे अपराध करने से पूर्व भगवान की पूजा करती है जिसे 'पाती माँगना' कहा जाता है। इनकी कुलदेवी 'जोगणिया माता' हैं। चकरी नृत्य प्रसिद्ध। इनके घरों में पीछे के हिस्से में खिड़की होती है। मरणासन्न व्यक्ति के मुंह में शराब की बूँद डालने जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं।

डामोर जनजाति:- डामोर जनजाति उदयपुर, डूँगरपूर व बाँसवाड़ा में निवास करती है। डूँगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत समिति 'डामरिया क्षेत्र' कहलाती है। नातेदारी, तलाक, विधवा विवाह, वधू मूल्य, बहुविवाह जैसी प्रथाएँ प्रचलित हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। पंचायत के मुखिया को 'मुखी' कहा जाता है।

राजस्थान में जनजातियां एवं शासनात्मक परिप्रेक्ष्य

राजस्थान में वर्ष 1975 में जनजातियों के सामाजिक - आर्थिक - सांस्कृतिक - बौद्धिक विकास, योजनाओं के निर्माण-नियंत्रण-निर्देशन-समन्वय, जीवन स्तर का उन्न्यन आदि उद्देश्यों से उदयपुर में "जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग" की स्थापना की गई। राज्य में समय-समय पर जनजातियों के विकास के संदर्भ में कई सरकारी प्रयास हुए हैं, जो इस प्रकार से हैं - 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा जनजातीय किसानों की भूमि संरक्षण के प्रयास किये गये। जनजातियों के कर्ज के बोझ से बचाने के लिए राजस्थान रिलीफ आॅफ इनडेब्टेड एक्ट (1957), सस्ती दरों पर भू-आवंटन हेतु भू-राजस्व अधिनियम (1970) पारित किया गया।

"जनजाति उपयोजना" 1974 द्वारा सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा व उन्नत जीवन स्तर के प्रयास, "सहरिया विकास कार्यक्रम", 1977 द्वारा बारां के किशनगंज व शाहबाद तहसीलों के सहरिया क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सिंचाई, पेयजल व आवास के कार्यक्रम, "माडा योजना", 1978 द्वारा कृषि, शिक्षा, पशुपालन, कुओं का निर्माण, लघु हस्त उद्योग आदि के विकास पर बल, 'बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम (ज्।क्।)ए 1979 द्वारा निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, चिकित्सा, पेयजल, आवास की सुविधा, सामाजिक वानिकी विकास हेतू "रूख भायला कार्यक्रम" आदि राज्य में जनजातियों के विकास के मुख्य शासकीय प्रयास किए जा रहे हैं। 2 जनवरी, 1964 को केन्द्र-राज्य के 50: 50 हिस्से पर आधारित उदयपुर में

'माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान'' की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति व उनके आर्थिक - सामाजिक विकास के पहलुओं पर अनुसंधान करना है। राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों को उपभोक्ता वस्तुएं उपयुक्त कीमतों पर वितरित करने के उद्देश्य से 1976 में ''राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना उदयपुर में की गई।

जनजातियों का संवैधानिक परिपे्रक्ष्य

भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रथम, संरक्षी व्यवस्था के माध्यम से जनजातियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना तथा द्वितीय, विकासी व्यवस्था के माध्यम से जनजातियों को प्रगति के अवसर प्रदान करना। एक तरह से संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य जनजातियों के देश के अन्य नागरिकों के समक्ष लाना है। सैनिक प्रावधानों के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जनजातियों को देश के मुख्य जीवनधारा के साथ जोड़ा जाए जिससे वह देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में समुचित भागीदारी निभा सकें। भारत के संविधान द्वारा जनजातियों के संदर्भ में प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में व्यापक प्रावधन किये गए हैं, जैसे -

अनुच्छेद 15 (4): कल्याण हेतु विशेष प्रावधान (प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा उपबंध किया गया)।

अनुच्छेद 15 (5): उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था (93 वें संशोधन अधिनियम द्वारा)।

अनुच्छेद 16 (4): नौकरियों में आरक्षण।

अनुच्छेद 16-4 (क): पदोन्नति में आरक्षण (77 वें संवैधानिक संशोधान द्वारा)।

अनुच्छेद 46: शैक्षणिक व आर्थिक हितों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन।

अनुच्छेद 164 (1): मध्यप्रदेष, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड में जनजातीय मामलों का अलग मंत्री का प्रावधान (94 वें संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तित)।

अनुच्छेद 243 (डी): पंचायतों में आरक्षण।

अनुच्छेद 243 (टी): नगरपालिकाओं में आरक्षण।

अनुच्छेद 244 (1) व 5 वीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के उपबंध।

अनुच्छेद 244 (2) व छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रशासन संबंधी उपबंध।

अनुच्छेद 275 : संचित कोष से एक राज्य को जनजातियों के विकास हेतु धन का प्रावधान।

अनुच्छेद 325 : किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 330 : लोकसभा में आरक्षण।

अनुच्छेद 332 : विधानसभाओं में आरक्षण।

अनुच्छेद 334 : स्थानों का आरक्षण सन् 2020 तक।

अनुच्छेद 335 : सेवाओं व पदों पर दावा।

अनुच्छेद 338 : अनुसूचित जातियों-जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग।

अनुच्छेद 342 : अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित करना।

इस प्रकार संविधान द्वारा व्यापक स्तर पर जनजातियों के कल्याण, विकास, सुरक्षा आदि के प्रावधान किये गए हैं।

संदर्भ

1. के एल शर्मा, भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशंस जयपुर एवं नई दिल्ली, 2006।

2. मोतीलाल गुप्ता, भारत में समाज, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2009।

3. डॉ नरेंद्र कुमार सिंघी तथा वसुधाकर गोस्वामी, समाजशास्त्र विवेचन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2007।

4. डॉ जय नारायण पांडेय, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, 2022।

5. बृज किशोर शर्मा, भारत का संविधान, पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2010।

6. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, 2019।

www.ignited.in

Corresponding Author

डॉ अशोक कुमार महला*

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर